न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/397

मनफूल आयु 38 वर्ष आत्मज स्वर्गीय भासू जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भजनेरी तहसील नैनवा जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । वादी उक्त भूमि पर करीब 25 वर्षो से अपने पिता के समय से कृषि काश्त करता चला आ रहा है । वादी बी0पी0एल0 परिवार का सदस्य है । वादी के पास उक्त भूमि के अलावा अनय कोई भूमि नहीं है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पिछले 25 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर पिछले 25 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया है । अपीलान्ट कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । अपीलान्ट ने प्रतिवादीगण को नियमन के बाबत् नोटिस दिया गया है परन्तु उन्होंने नियमन नहीं किया है इस करण वादी ने हक, घोषणा का दावा पेश किया था जिसे लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना वादी की शहादत लिये बिना दावा खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में सीपीसी की पालना नहीं की है । वादी अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलान्ट ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वाद पेश किया है जो मेंन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने सरकारी सिवायचक भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक, घोषणा का दावा पेश किया था और अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए वादी के वाद को खारिज कर दिया । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति यह है कि लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना, वादी को शहादत का अवसर प्रदान किये बिना ही वादी का वाद खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है और अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसमें खातेदारी हक घोषणा चाहता है । कब्जा मुखालफाना के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय

राजस्व मण्डल की फुल बैंच एंव माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । इस प्रकार वादी अपीलान्ट का वाद विधिक रूप से मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 15.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/397

मनफूल आयु 38 वर्ष आत्मज स्वर्गीय भासू जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 128/दावा/2012

मनफूल आयु 38 वर्ष आत्मज स्वर्गीय भासू जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 15.10.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नवेद केसर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री रामबाबू मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 15.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

15.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा